संख्या-69/2026/215के-2/22-3-2025-17(419)/25

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2026

विषय:- जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विजयपाल पुत्र श्री सीताराम, निवासी जनपद-रामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-4375/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-30.01.2025), दिनांक 31.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विजयपाल (बंदी संख्या-191/2012) पुत्र श्री सीताराम, जो रूस्तमपुर, थाना-शाहबाद, जनपद-रामपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 09-08-2005 को बैल चोरी की शिकायत पुलिस में किये जाने की रंजिश को लेकर तमंचे से गोली मारकर मोहन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-518/2005 व सत्र परीक्षण संख्या-398/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 तथा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-4, रामपुर के आदेश दिनांक 11-10-2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। दूसरी घटना में बंदी द्वारा जमानत कराने की रंजिश को लेकर दिनांक 15-08-2012 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर विशन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-56/2013 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0-1, रामपुर के आदेश दिनांक 04-08-2021 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण सं0-518/2005 के अन्तर्गत दिनांक 31-08-2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की सजा भोगी गई तथा सत्र परीक्षण सं0-56/2013 के अन्तर्गत दिनांक 01-10-2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 08 माह, 03 दिन सपरिहार 04 वर्ष, 08 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु लगभग 46 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, समाज को व्यापक से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने से किसी प्रकार की घटना घटित होने की संभावना शेष नहीं रहने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा ठीक होने परन्तु रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा की गई हत्या जघन्य अपराध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। बंदी को 02 वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजयपाल पुत्र श्री सीताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विजयपाल (बंदी संख्या-191/2012) पुत्र श्री सीताराम, निवासी जनपद-रामपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाते हुए उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-215(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, रामपुर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-69/2026/215के-2/22-3-2025-17(419)/25

दिनांक 18 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी विजयपाल (बंदी संख्या-191/2012) पुत्र श्री सीताराम, जो रूस्तमपुर, थाना-शाहबाद, जनपद-रामपुर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक 09-08-2005 को बैल चोरी की शिकायत पुलिस में किये जाने की रंजिश को लेकर तमंचे से गोली मारकर मोहन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-518/2005 व सत्र परीक्षण संख्या-398/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 तथा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-4, रामपुर के आदेश दिनांक 11-10-2012 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। दूसरी घटना में बंदी द्वारा जमानत कराने की रंजिश को लेकर दिनांक 15-08-2012 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर विशन सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-56/2013 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष सं0-1, रामपुर के आदेश दिनांक 04-08-2021 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा सत्र परीक्षण सं0-518/2005 के अन्तर्गत दिनांक 31-08-2024 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 07 माह, 01 दिन की सजा भोगी गई तथा सत्र परीक्षण सं0-56/2013 के अन्तर्गत दिनांक 01-10-2024 तक अपरिहार 04 वर्ष, 08 माह, 03 दिन सपरिहार 04 वर्ष, 08 माह, 03 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की आयु लगभग 46 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आने, समाज को व्यापक से प्रभावित करने, पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध रखने से किसी प्रकार की घटना घटित होने की संभावना शेष नहीं रहने, बंदी के परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा ठीक होने परन्तु रिहाई उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा की गई हत्या जघन्य अपराध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। बंदी को 02 वादों में आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजयपाल पुत्र श्री सीताराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दिया गया है।

(कमलेश कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in